लोकेश कुमार सिंह, भा.प्र.से.
सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
पटना- 800015
Tel.: 0612-2217681
Email:health-bih@nic.in

पत्रांक: SHSB/PM/558/2020/8691

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार
सभी निदेशक/अधीक्षक, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य संस्थान, बिहार

पटना, दिनांक 20-03-2026

विषय: भीषण गर्मी एवं लू (Heat Stroke/Waves) से पीड़ित आमजनों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के साथ हीं गर्मी के कारण जन-जीवन प्रभावित होना संभावित है। India Meteorological Department (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार विगत कुछ वर्षो की तुलना में इस वर्ष अत्यधिक गर्मी एवं लू (Heat Stroke/Waves) पड़ने की संभावना है। **अत्यधिक गर्मी एवं उससे उत्पन्न लू (Heat Stroke/Waves)** से आमजनों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। **विशेषकर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों, बुजुर्ग एवं गर्भवती एवं धातृ माताओं तथा विभिन्न कार्य के लिए घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी काफी समस्याएँ होती है।** इस मौसम में पेयजल संकट की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिलान्तर्गत सरकारी अस्पतालों द्वारा आमजनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय एवं कार्रवाई की जाये। अतएव, भीषण गर्मी एवं लू से बचाव तथा इससे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के चिकित्सकीय उपचार एवं प्रबंधन हेतु निम्न कार्रवाईयाँ अपेक्षित है:-

(i) जिलान्तर्गत सभी सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल/हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/स्वास्थ्य उपकेन्द्र में भीषण गर्मी एवं लू से प्रभावित व्यक्तियों के अहर्निश रूप से समुचित चिकित्सकीय उपचार एवं प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से विशेष कार्य योजना तैयार की जाय।

(ii) **सभी सरकारी अस्पतालों में दस्त एवं अतिसार, चर्म रोग, नेत्र विकार तथा हीटवेब/स्ट्रोक से संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक औषधियों यथा-Anti Diarrheal Medicine, Anti Amoebic Medicine, Anti Emetic Medicine, Anti-Spasmodic Medicines, Anti-Viral/ Infective Medicines, I.V. Fluids/Parenterals, ORS एवं इससे संबंधित अन्य आवश्यक औषधियाँ तथा Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।**

(iii) लू से पीड़ित व्यक्तियों का **Heart Rate, Respiratory Rate, Blood Pressure, Rectal Temperature एवं Mental State** का लागातर निगरानी कराने की व्यवस्था की जाय।

(iv) लू से ग्रसित गंभीर मरीजों का **Complete Blood count, Electrolyte, ECG, Other Metabolic Abnormalities, Liver function test, Kidney function test** कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(v) सभी सरकारी अस्पतालों में भीषण गर्मी एवं लू के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु **Dedicated Ward/ समुचित संख्या** में बेड की व्यवस्था की जाय। इस Dedicated Ward में 24 घंटे चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों का रोस्टर संधारित करते हुये उनकी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय। इन Dedicated Ward/बेड हेतु पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियाँ, आवश्यक उपकरण एवं Medical Devices आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

(vi) भीषण गर्मी एवं लू के मद्देनजर **सभी एम्बुलेंस में एयर कंडीशन की क्रियाशीलता, ऑक्सीजन एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था** की समीक्षा सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से करते हुए सभी एम्बुलेंस को 24 घंटे अलर्ट अवस्था में रखवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ संबद्ध एम्बुलेंस को एलर्ट अवस्था में रखा जाये।

(vii) सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल तथा जिलान्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों के निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रोस्टर संधारित कर अतिरिक्त चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों की 24 घंटे तैनाती करते हुये आवश्यक औषधियों तथा चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त जिलान्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं उपर्युक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अलग से विशेषज्ञ चिकित्सक on call ड्यूटी पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगें ताकि आकस्मिक/आपात परिस्थिति में सूचित किये जाने पर वे शीघ्र संबंधित अस्पताल में उपस्थित हो जायें।

(viii) **जिला प्रशासन के स्तर पर निर्धारित Heat Wave Action Plan के तहत भी अत्यधिक गर्मी एवं उससे उत्पन्न लू (Heat Stroke/Waves) से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाए।**

(ix) जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए छायादार स्थल पर बैठने की समुचित व्यवस्था, समुचित प्रकाश, पर्याप्त संख्या में पंखा एवं कूलर, शुद्ध पेयजल तथा अन्य जन-सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य रुप से सुनिश्चित की जाये। **अत्यधिक गर्मी एवं उससे उत्पन्न लू (Heat Stroke/Waves) को दृष्टिगत रखते हुये अस्पतालों के सामान्य वार्ड/आई०पी०डी० में ए०सी०/कूलर, पंखा आदि को क्रियाशील अवस्था में रखना सुनिश्चित किया जाये। साथ हीं, आवश्यकतानुसार इनका मरम्मत, रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य समय पूर्व पूर्ण करा लिया जाय।**

(x) गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय की जानकारी आम जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन शाखा से समन्वय कर प्रचार-प्रसार कराया जाय। साथ ही, **"क्या करें, क्या न करें" को जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इसे जन सामान्य के बीच प्रचारित किया जाय।**

2. सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिलान्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ भीषण गर्मी एवं लू (Heat Stroke/Waves) से पीड़ित आमजनों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने एवं बचाव आदि बिन्दुओं पर एक सप्ताह के अंदर बैठक कर सभी प्रकार की अनिवार्य व्यवस्थाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। बैठक में विशेष तौर पर

लू से प्रभावित आमजनों के ईलाज के लिए निर्धारित SOP का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया जाय।

3. अतः अनुरोध है कि जिलास्तरीय चिकित्सकीय व्यवस्था इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक गर्मी एवं उससे उत्पन्न लू (Heat Stroke/Waves) के चिकित्सकीय प्रबंधन से संबंधित उपरांकित सभी व्यवस्थाओं सहित स्वास्थ्य संस्थान, चिकित्सक एवं पारा चिकित्सा कर्मी प्रत्येक स्थिति में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्णतः एलर्ट रहें। कृत से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)

20/3/2026

ज्ञापांक SHSB/PM/558/2020/ 8691 पटना, दिनांक 20-03-2026

प्रतिलिपि :

- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
स्वास्थ्य विभाग

20/3/2026